कार्यालय निरीक्षक नापतौल (विधिक माप विज्ञान) विभाग

पता :- कोर्ट परिसर, एस.बी.आई. बैंक के सामने, मंदसौर (म.प्र.) पिन–458001, ई-मेल:- naptolmandsaurmds@gmail.com

क्र. 63 /नातौ/सू.का अधि./2024 मंदसौर, दिनांक 06.02.2024

प्रति,

SHREE KAREEM ANSARI ,
YUGANTAR (6E29AQID) 3-4-142/6 BARKATPURA
HYDERABAD - 500027

---------------------------------×---------------------

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा - 6(1) के अन्तर्गत आवेदन SHREE KAREEM ANSARI , YUGANTAR (6E29AQID) 3-4-142/6 BARKATPURA HYDERABAD – 500027

संदर्भ : - आपका आवेदन दि. 15 DEC 2023 जो लोक सूचना अधिकारी , कार्यालय नियंत्रक म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 131 /नातौ / सू.का अधि. / 2023 भोपाल दि. 11/01/2024 , से अंतरित होकर इस कार्यालय को दि. 19.01.2024 को प्राप्त हुआ ।

---------------------------------×---------------------

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि श्री आशुतोष अग्रवाल , सीपीआईओ एवं उप निदेशक (एल एम) , ई – मेल : - ashutosh.agarwal13@nic.in के स्पीड पोस्ट पत्र क्रमांक – आई-28/24/2023 - डब्ल्यू एंड एम अनुभाग , कार्यालय - भारत सरकार , उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय , उपभोक्ता मामले विभाग , विधिक मापविज्ञान एकक , कृषि भवन , नई दिल्ली - 110001 , दिनांक : 27.12.2023 और लोक सूचना अधिकारी , कार्यालय नियंत्रक नापतौल म.प्र. भोपाल के रजिस्ट्रड पत्र क्रमांक – पत्र क्र. 133 /नातौ / सू.का अधि. / 2023 भोपाल दि. 11/01/2024 के पालन में , आपके आवेदन पत्र के बिन्दु/प्रश्न संख्या : 1 , 2 और 3 की जानकारी निम्नानुसार प्रेषित है : -

1. बिन्दु क्र. (1) में चाही गई जानकारी आपको विभाग प्रदाय करना चाहता है लेकिन आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम – 2005 की धारा – 6(1) के अन्तर्गत सूचना की विशिष्टियॉ जैसे – समायावधि एवं फर्म / संस्थान / व्यापारी / व्यक्ति विशेष का स्पष्ट खुलासा नही किये जाने से आपको जानकारी प्रदाय किया सम्भव नही है ।
   अत: उक्त खुलासा होने की दशा में सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 की धारा -11 के पालन उपरान्त आपको प्रमाणित जानकारी प्रदाय किया जाना सम्भव होगा ।
2. बिन्दु क्र. (2) में चाही गई जानकारी आपको विभाग प्रदाय करना चाहता है लेकिन आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम – 2005 की धारा – 6(1) के अन्तर्गत सूचना की विशिष्टियॉ जैसे – समायावधि एवं फर्म / संस्थान / व्यापारी / व्यक्ति विशेष का स्पष्ट खुलासा नही किये जाने से आपको जानकारी प्रदाय किया सम्भव नही है ।
   अत: उक्त खुलासा होने की दशा में सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 की धारा -11 के पालन उपरान्त आपको प्रमाणित जानकारी प्रदाय किया जाना सम्भव होगा ।
3. बिन्दु क्र. (3) में चाही गई जानकारी के संबंध में कोई भी दस्तावेज आदि उपलब्ध नहीं है । इसलिये जानकारी प्रदाय किया जाना संभव नहीं है । विधिक मापविज्ञान (पैकेज वस्तुएं) नियम – 2011 के नियम – 18(2) / 32 मे विक्रेता द्वारा उपभोक्ता को पैकेज पर घोषित M.R.P. (Incl. Of All Taxes) से अधिक राशि लेकर विक्रय करने का उल्लंघन करने पर दण्ड का प्रावधान किया गया है । जिसकी प्रति विभाग की वेबसाईट https://consumeraffairs.nic.in/acts-and-rules/legal-metrology/the-legal-metrology-act-2009 पर उपलब्ध है ।

नोट : - यदि आप आवेदन पत्र के उक्त निराकरण से संतुष्ट नही है , तो आप नियत समयावधि 30 दिवस के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्न नाम व पते पर विधिवत नियमानुसार प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते है :-

नाम :- श्री नसीमउद्दीन , पद- प्रभारी सहायक नियंत्रक,
पता :- कार्यालय सहायक नियंत्रक नापतौल (विधिक मापविज्ञान) रतलाम
सैलाना रोड बरबड, अरिहन्त कॉलेज परिसर, रतलाम
जिला - रतलाम (म.प्र.)

(भारत भूषण)
लोक सूचना अधिकारी/निरीक्षक
नापतौल (विधिक माप विज्ञान) मदसौर (म.प्र.)

पृ. क्र. 64 /नातौ/सू.का अधि./2024 मंदसौर, दिनांक 06.02.2024

प्रतिलिपी : -

1. लोक सूचना अधिकारी कार्यालय नियंत्रक नापतौल म.प्र. भोपाल के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक – 131 / नातौ / सू. का अधि. / 2023 कार्यालय नियंत्रक नापतौल (विधिक मापविज्ञान) विभाग म.प्र. भोपाल , दिनांक – 11.01.2024 के पालन मे सूचनार्थ प्रेषित है ।

(भारत भूषण)
लोक सूचना अधिकारी/निरीक्षक
नापतौल (विधिक माप विज्ञान) मदसौर (म.प्र.)